तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-8-25	**राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 43/2022 (2022/129) अनवान देवाराम वगैरा बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार झंवर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम** पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गांव भाण्डूकंला तहसील लूणी में प्रार्थीगण के सहखातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110/3 रकबा 0.6677 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110/4 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110/5 रकबा 0. 3359 हैक्टेयर भूमि में खिंची गई लाल लाईनो को हटाया जावे तथा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शें अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्वि की जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र की जांच हेतु तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी कि गई है। तहसीलदार झंवर के पत्रांक/कोर्ट/2025/217 दिनांक 09.07. 2025 के द्वार जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार झवंर ने फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 में बताया कि ग्राम भाण्डूकंला के राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 110 रकबा 24.10 बीघा भूमि देवाराम, बीजाराम पि. चौथाराम जाति भील सा. देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जिसमें नामान्तरकरण संख्या 537 दिनांक 05.09.2012 के जरिये खसरा 110/2 रकबा 10 बीघा भूमि बंशीलाल पुत्र बींरदाराम जाति भील सा. भाण्डूकंला को बेचान की। जिसमें विकेता खातेदार दवारा एक आवासीय कॉलोनी काटी गई। वर्तमान खसरा नम्बर खसरा नम्बर 110/2 भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के नाम है। जो भाण्डूकंला से बड़लिया जाने वाली सड़क से बाई तरफ स्थित है। मौके अनुसार आवासीय कॉलोनी में अधिकाश मकान बने हुऐ है। खातेदारो के पास रही शेष भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 14.10 बीघा को दोनो खातेदार देवाराम व बीजाराम दवारा सहमति से बटवाड़ा करवाया गया। जो नामान्तरकरण संख्या 565 दिनांक 21.01.13 दवारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ जिसकी पुश्त पर तरमीम का नजरी नक्शा भी दर्ज है। बटवाडे अनुसार खसरा नम्बर 110 रकबा 6.05 बीघा देवाराम पुत्र चौथाराम जो नि. भाण्डूकंला ग्राम की तरफ स्थित है। तथा खसरा नम्बर 110/3 बीजाराम पि. चौथाराम के नाम भाण्डूखुर्द सरहद की तरफ स्थित है। वर्तमान मौके अनुसार भी इस तरफ काबिज है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

दोनो के बीच पत्थर लगाकर तारबदी की गई है। खातेदार बीजाराम पुत्र चौथाराम दवारा खसरा नम्बर 110/3 रकबा 8.05 के जरिये नामान्तरकरण संख्या 783 दिनांक 16.01.2020 दवारा केतागण खातेदार कालूराम पुत्र अमराराम जाति भील नि. सर को खसरा नम्बर 110/4 रकबा 2.01 एवम शारदा पत्नि चौथाराम जाति निवासी पाल को खसरा नम्बर 110/5 रकबा 2.01.10 बीघा उक्त दोनो केतागणो के बेचाननामों में खरीद शुदा भूमि के आस–पड़ौस दर्ज नहीं है। मौके पर दोनों केतागण काबिज है। वर्तमान में खसरा नम्बर 110, 110/3, 110/4, 110/5 के खातेदार प्रस्तावित तरमीम अनुसार मौके पर काबिज है तथा सभी खातेदार इससे सहमत है। इस प्रस्तावित अनुसार आनलाईन भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तहसीलदार झंवर की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त खसरान के खातेदार प्रस्तावित तरमीम अनुसार मौके पर काबिज है तथा उसी अनुसार भू नक्शा में तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु सहमत है। अतः तहसीलदार झंवर के जांच रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के सहखातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110/3 रकबा 0.6677 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110/4 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110/5 रकबा 0. 3359 हैक्टेयर भूमि का मौका, कब्जा संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06. 2025 के अनुसार तरमीम दुरस्ती कर अमल दरामद करे। मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी